

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 07.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri R.S. Bharathi के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 846 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

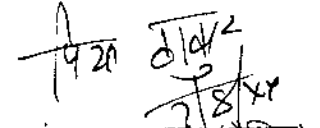
S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	S. THIRUPUGAZH	SH. M. SELVARAJU MOB- 9498107748/ 9087852345	I	IIT ADYAR CHENNAI
2	D. VIROCHAAN SAI	SH. K. DHAMODHARAN MOB- 8939935577	I	IIT ADYAR CHENNAI
3	SH. S. KOWSHIKA	SH. S. SURESH MOB- 9791167251	V	MINAMBAKKAM
4	R.K. GRACY	SH. RAVI KUMAR MOB- 9382695536	I	MINAMBAKKAM
5	S. PRAGADESH	SH. R. SUNDAR MOB- 9380078257/ 9941534810	III	ISLAND GROUND
6	J. TEJESHWARI	SH. JAGAN V.V. MOB- 9884845745/ 8098107823	I	NO.1 AIR FORCE STATION
7	SRUTHIKAASRIEE GOUTHAMAN	SH. GAUTHAMAN ARUMUGAM MOB- 9742398945/ 9742243460	II	CLRI ADYAR
8	S. MADESH	SH. S. SARA VANANAN MOB- 9597902346	I	NO.1 NARIMEDU
9	S. SHAKTHI	SH. M. SRIRAM KUMAR MOB- 9790842808	I	IIT ADYAR CHENNAI
10	K. KRISH	SH. KARTHIKEYAN MOB- 9841450387	I	NO.2 AFS TAMBARAM

पिया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri R.S. Bharathi माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, CHENNAI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)